भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 515
जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

न्यायालय की खण्डपीठों की स्थापना की मागें

515. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी :

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका :

श्री रघु राम कृष्ण राजू :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में उच्च न्यायालय की नई पीठें स्थापति करने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) हैदराबाद में उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ, पुडुचेरी में मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ और कोरापुट और पश्चिमी ओडिशा के अविभाजित जिले में उच्च न्यायलय की नई खंडपीठ के समान कुछ शहरों में विभिन्न न्यायालयों की खंडपीठ/खंडपीठों की स्थापना के लिए ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों द्वारा की गई मांगों, अनुरोधों और उनसे प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त मांगों / प्रस्तावों की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है ;

(घ) ऐसी अस्वीकृत की गई मांगों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई कब तक किए जाने और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : उच्च न्यायालय न्यायपीठों की स्थापना, जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और वर्ष 2000 की रिट याचिका (सिविल) सं0 379 में शीर्ष न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय के अनुसार तथा उस राज्य सरकार, जिसको आवश्यक तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उपबंध करना है और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, जिससे उच्च न्यायालय दिन-प्रतिदिन के प्रशासन की देखभाल करने की अपेक्षा की जाती है, से प्राप्त पूर्ण प्रस्ताव पर सम्यक् विचार करने के पश्चात् की जाती है । पूर्ण प्रस्ताव में संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए ।

उच्च न्यायालयों के प्रधान स्थान से भिन्न स्थानों पर उच्च न्यायालय न्यायपीठों की स्थापना के लिए अनुरोध, समय-समय पर विभिन्न संगठनों, जिनमें ओडिशा राज्य सरकार भी है, से प्राप्त होते रहे हैं । ओडिशा राज्य सराकर ने ओडिशा के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में ओडिशा उच्च न्यायालय न्यायपीठ की स्थापना करने के लिए अनुरोध किया है । केंद्रीय सरकार ने ओडिशा राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वह ओडिशा उच्च न्यायालय से परामर्श करके अपने अवस्थान सहित प्रस्तावित

न्यायपीठों के ब्यौरे तैयार करें । तथापि, अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । वर्तमान में, उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के संबंध में ओडिशा राज्य सरकार से कोई पूर्ण प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है ।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 130 यह उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर नियत करे ।

ग्यारहवें विधि आयोग ने वर्ष 1988 में प्रस्तुत ''उच्चतम न्यायालय-एक नई दृष्टि'' नामक अपनी 125वीं रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय को दो अर्थात् (i) दिल्ली में सांविधानिक न्यायालय और (ii) उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत में अधिविष्ट होने वाले अपीली न्यायालय या फैडरल न्यायालय में विभाजित करने के संबंध में अपनी 95वीं रिपोर्ट में दसवें विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को दोहराया है । अठारहवें विधि आयोग ने अपनी 229वीं रिपोर्ट में यह सुझाव दिया था कि सांविधानिक न्यायपीठ दिल्ली में स्थापित की जाए और चार अपील न्यायपीठ, उत्तरी क्षेत्र का दिल्ली में, दक्षिणी क्षेत्र का चेन्नई/हैदराबाद में, पूर्वी क्षेत्र का कोलकाता और पश्चिमी क्षेत्र के मुंबई में स्थापित की जाएं ।

यह मामला भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को निर्दिष्ट किया गया था, जिसने यह सूचित किया है कि मामले पर विचार करने के पश्चात्, पूर्ण न्यायालय ने 18 फरवरी, 2010 को आयोजित अपनी बैठक में दिल्ली से बाहर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित करने के लिए कोई औचित्य नहीं पाया है ।

राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना संबंधी रिट याचिका डब्ल्यूपी (सी) सं0 36/2016 में, उच्चतम न्यायालय ने तारीख 13.07.2016 के अपने निर्णय द्वारा ऊपर उल्लिखित मुद्दे को प्राधिकारयुक्त निर्णय के लिए इसे सांविधानिक न्यायपीठ को निर्दिष्ट करना उचित समझा है । मामला उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है ।

*****